न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस.

संख्या 27/2021 वाद

श्री नारायण पिता रामलाल जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

वनाम

श्री रामलाल पिता मोडा जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी.

श्री नरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी एवं
श्री सम्पतलाल जैन अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 28.08.2023

प्रतिवादी श्री रामलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का पेश कर अंकित किया कि वादी ने वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित जमीन को मौरूसी बताकर वाद पेश किया है जबकि मोडा जी के मरने के पर जेता, रामलाल व मोती के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ था एवं मोती के मरने के बाद उसका हिस्सा जेता व रामलाल में वेस्ट हुआ था एवं प्रतिवादी संख्या एक के एक पुत्र नारायण एवं दो पुत्रियॉ पुष्पा व नर्बदा है तथा उक्त दोनो पुत्रिया उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार थी जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के तहत आवश्यक पक्षकार को वाद में पार्टी नहीं बनाने से वाद को इसी बिन्दु पर खारिज किया जाना दर्शाया गया है। वादग्रस्त जमीन कुछ प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा खरीदी गई कुछ विरासत से माता मोतीबाई से आयी है तथा कुछ पिता से प्राप्त हुई है तथा वादी ने उक्त जमीनों के साथ अन्य जमीनों को मिलाकर पूर्व में एक वाद प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य को पक्षकार बनाकर इसी न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53 का पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 72/016 है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने सारी स्थिति स्पष्ट की व कहा कि उक्त जमीन उसे जो प्राप्त नहीं हुई है वह उसकी व्यक्तिगत जमीन है जिसमें वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं लगता है इस कारण पूर्व वाद को वादी ने दिनांक 03.05.2017 को खारिज करवा दिया। इस कारण यह वाद आदेश 9 नियम 9 के तहत बार्ड है तथा यह नया वाद कानूनन नहीं चल सकता है। वादी द्वारा पूर्व में पेश किए गए वाद के सारे तथ्यों को छिपाकर एक नया वाद 2021 में पेश किया गया है। जो सन् 2016 में पेश किए गए वाद की पुर्नावृति है। आराजी नम्बर कुछ कम किए है परन्तु रिलीफ दोनों वादों में एक ही है इस कारण उसी रिलीफ पर दुसरा वाद काननून मेन्टीनेबल

उपखण्ड अधिक
गिर्वा, उदयपुर

[illegible] गई बार्ड बाई ली है। इस कारण उक्त वाद इसी स्तर पर [illegible] है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के वाद को इसी स्टेज पर [illegible] किए जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पूर्व वाद की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी द्वारा [illegible] मौरुसी सम्पति का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपने हिस्से के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है, पुष्पा व नर्वदा अपने हिस्से के लिए पृथक से वाद प्रस्तुत कर सकती है। वाद वर्णित जमीन मोडा जी से प्रतिवादी को प्राप्त हुई है तथा उक्त सम्पति प्रतिवादी की व्यक्तिगत सम्पति नहीं है। उक्त सम्पति मे वादी का जन्म से हित व अधिकार निहित होने से विधिवत् वाद प्रस्तुत किया है। पूर्व मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मेरिट पर निर्णित नहीं हुआ है, न ही उसमें कोई साक्ष्य ही हुई है, जिससे उक्त वाद किसी भी कानून के तहत बार्ड नहीं है। प्रतिवादी द्वारा विधिवत अपने हिस्से को सुरक्षित करने हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को अन्य लोगो को विक्रय करने पर आमादा होने पर विधिवत वाद प्रस्तुत किया है, जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे। वादी द्वारा पूर्व में पेश वाद मेरिट पर निर्णित नहीं हुआ है, न ही उसमें तनकियात कायम की गई एवं न कोई साक्ष्य ही हुई है। पूर्व में पेश वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुआ है जिससे नया वाद प्रस्तुत करने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिए की किसी भी सम्पति का पैतृक सम्पति होने के लिए कम से कम तीन अथवा चार पीढी से जमीन का अन्तरण हुआ हो। वादी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद में एवं हस्तगत वाद में वादकारण एवं रिलीफ समान है। वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत उक्त वाद दिनांक 03.05.2017 को खारिज हो चुका है। किसी भी आराजीयात का समान रिलीफ, समान वादकारण का पूर्व में वाद प्रस्तुत होने से नया पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खाजिर फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के तर्कों का प्रार्थना पत्र जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए खंडन किया कि वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 03.05.2017 को खारिज फरमाया गया था जिसमें कोई तनकियात कायम नहीं हुई थी एवं न ही साक्ष्य हुई थी। जिस कारण पूर्व वाद का मेरिट पर निर्णय नहीं होने से वादी द्वारा प्रस्तुत नया वाद कानूनन चल सकता है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी द्वारा पूर्व में दिनांक 10.05.2016 को एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादी एवं अन्य पक्षकारों के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसके प्रकरण संख्या 72/16 होकर वाद वादी की अनुपस्थिति में अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 03.05.2017 को खारिज कर फैसल शुमार कर दिया गया था। उक्त वाद की प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रति एवं हस्तगत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद में हस्तगत वादपत्र की आराजीयात को सम्मिलित करते हुए वाद प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत पूर्व वाद प्रकरण संख्या 72/16 में समान पक्षकार, समान आराजी एवं उसी दाद के सम्बध में वादी द्वारा नया वाद प्रस्तुत किया गया है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 अनुसार जहॉ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए। तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 में वर्णितानुसार "जहॉ वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है वहां वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा।"

आदेश 9 नियम 9 की रोशनी में वादी को पूर्व में प्रस्तुत वादी जो कि दिनांक 03.05.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। उक्त आदेश को अपास्त करवाने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु वादी द्वारा उक्त आदेश को अपास्त कराने की कार्यवाही नहीं करायी जाकर नया वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 9 के तहत बार्ड बाई लॉ है। वादी आदेश 9 नियम 9 के तहत उक्त वाद प्रकरण संख्या 72/16 निर्णय दिनांक 03.05.2017 को अपास्त करवाने की कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.स.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकद्मा 27 / 2021 सन 2021 सीगह वाद श्री नारायण पिता रामलाल जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर बनाम श्री रामलाल पिता मोडा जी डांगी, आयु वयस्क, निवासी कानपुर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता नरेन्द्र चौधरी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता सम्पतलाल बोहरा की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ......–........रुपये की राशि.....–..........आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....–.........प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....–....द्वारा .....–............को दी जाए।

यह आज तारीख ....28............ माह ...08... सन् ......2023...... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....[signature]........

पद ....उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

अधिकारी ... गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

28/8/23 को उपस्थित रहे।

पत्रावली मांग बहस दिनांक 28/8/23 को पेश हो।

28.8.23

पत्रावली पेश हुई। वकीलान पक्षकार उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07 R 11 का जवाब न्यायहित में स्वीकार किया जाकर रिकॉर्ड पर लिया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र 07 R 11 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर श.पा. किया गया। पत्रावली फैसलशुदा हो नम्बर से कम हो।

प्रतिभा वर्मा
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर